



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29882

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 4005 वर्ष 2026

लालजी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 14 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्रा, रमेश कुमार मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 की ओर से नोटिस स्वीकार किया और श्री आजाद राय, विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 6 की ओर से नोटिस स्वीकार किया।
2. प्रत्यर्थी संख्या 7 से 15 को सामान्य माध्यम के साथ-साथ पंजीकृत/स्पीड पोस्ट ए.डी. के माध्यम से भी नोटिस जारी किया जाए।
3. एक सप्ताह के भीतर कदम उठाए जाएं।
4. इस मामले को कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथि पर सूचीबद्ध किया जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

11 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"